

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	<p>भूमि बिक्री करने की अनुमति के लिए आवेदन पत्र दिया है, इसी के आधार पर इस विविध वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदन पत्र की जाँच भूमि सुधार भूमे सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू से कराई गई। प्रस्तुत मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू राँची ने पत्रांक 31/रा0 दिनांक 11.01.2018 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया प्राप्त जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदित भूमि खतियान में विभिन्न रैयतों के नाम पर कायमी दर्ज है। खतियान में लगान पाने वाला खेवट नं0-10 दर्ज है। खेवटदार को भूमि खेवट सं0-03 के जमीन्दार हिकिम सिंह मुण्डा से प्राप्त था। खेवट सं0-03 में किस्म मुण्डारी खुटकट्टी दर्ज है। आवेदकगण खेवट सं0-03 के उत्तरधिकारी के हैसियत से भूमि बिक्री का आवेदन दिये हैं। संलग्न शपथ पत्र सं0-19172 दिनांक 11.05.2016 के कांडिका 04 में वर्णित है कि भूमि मुण्डारी खुटकट्टी (बिक्रेता) के दखल कब्जे में है, जबकि भौतिक सत्यापन में दखल कब्जा खतियानी रैयत का है।</p> <p>भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मुण्डारी खुटकट्टी के जमींदार द्वारा लिखित आपत्ति दी है कि:-कम्पनी द्वारा रैयतों को 90 प्रतिशत एवं जमींदार को 10 प्रतिशत दिया जाता है और रैयत को अपना जमीन का हक नहीं बनाकर जमीन्दार को सर्वे सर्वा बनाया जाता गया है। कम्पनी भूमि को क्रय विक्रय के क्रम में परमिशन एवं रजिस्ट्री पट्टा में खतियानी रैयत के वशजों को पक्षकार नहीं बनया जा रहा है, जबकि भूमि का दखल उन्ही के पास निहित है साथ ही जमीन का कुल मूल्य 90 प्रतिशत राशि रैयतों को दिया जाता रहा है। कम्पनी द्वारा अभी तक लगभग हजारों एकड़ जमीन क्रय को गई है, परन्तु भूमि पर किसी का दखल नहीं लिया गया है और नहीं जमाहित के</p>	

Jamal

क्रम संख्या और तारीख		गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	<p>दृष्टिकोण से क्रय भूमि पर किसी तरह का निर्माण किया गया है।</p> <p>कम्पनी द्वारा दस वर्ष पूर्व निर्धारित दर पर ही क्रय किया जा रहा है, लेकिन कम्पनी द्वारा पुराने दर ही भूगतान किया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुये नये नये दर पर क्रय करना चाहिए। मुण्डारी खुँटकड़ी जमींदार पराम्परा के अनुसार वंश में बड़ा होता है वह स्वत जमींददार (मालिक) बनता है। भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू ने अपने उपरोक्त प्रतिवेदन द्वारा छो० का०अधि० की धारा 241 के तहत प्रस्तुत भूमि बिक्री अनुमति वाद सं० को खारिज करने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः भूमि सुधार भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू से प्रतिवेदन द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आवेदकगण द्वारा छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 241 के तहत प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p>उपायुक्त, राँची</p>	<p>गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</p> <p>उपायुक्त, राँची</p>